

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
75/2022 प्रा.पत्र/2022

तारीख दायरा
12.08.2022

तारीख निर्णय
18.12.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री नारायण सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपुरोहित एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान
भण्डार, बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज.। निवासी बागर बस्ती उनियारा जिला टोंक
.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 18.12.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 16.04.2022 को समय 10:48 पीएम पर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड
उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री नारायण सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
राजपुरोहित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नारायण
सिंह ने स्वयं को प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर/मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री
प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लोहे की 3 ट्रे में
लगभग 6-7 किलोग्राम खोया बेस्ड स्वीट बर्फी (Khoya Based Sweet Burfy) रखी हुई थी,
जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक
स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री नारायण सिंह को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में
नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नारायण सिंह व गवाहान
के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति
विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह खोया बेस्ड स्वीट बर्फी
(Khoya Based Sweet Burfy) कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर
रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खोया बेस्ड स्वीट बर्फी (Khoya
Based Sweet Burfy) कुल 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की



शिशियों में प्रत्येक में 500 ग्राम नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3178 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3178 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1095 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1755/एक्ट/2022/1755 दिनांक 09.05.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया खोया बेस्ड स्वीट बर्फी (Khoja Based Sweet Burfy) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस खोया बेस्ड स्वीट बर्फी (Khoja Based Sweet Burfy) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया खोया बेस्ड स्वीट बर्फी (Khoja Based Sweet Burfy) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये



चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



15
(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0